बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (I) स्था०–38 / 2014– पटना, दिनांक –

आदेश

विभागीय आदेश ज्ञापांक–2017 दिनांक–29.07.2013 एवं 2018 दिनांक–29.07.2013 तथा ज्ञापांक–1889 दिनांक–04.08.2014 द्वारा क्रमशः राज्य के विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थानों एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों में समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर संविदा नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उपर्युक्त प्रासंगिक आदेशों द्वारा संविदा नियोजित कर्मियों की संविदा अवधि दिनांक–02.01.2016 से दिनांक–30.06.2016 तक के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (दोनों में जो पहले हो) एकरारनामा हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. संविदा पर नियोजित कर्मियों को नये सिरे से प्राचार्य के साथ एकरारनामा पुनः करना होगा।

4. एकरारनामा की तिथि ही नये नियोजन की तिथि माना जाएगा।

5. संविदा पर नियोजित कर्मियों द्वारा भविष्य में नियमित अथवा अस्थायी नियुक्ति हेतु कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

6. यह स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित प्राचार्य अपने संस्थानान्तर्गत संविदा पर वर्ग 'ग' के नियोजित कर्मियों के परफॉरमेन्स / कार्यकलापों से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही पूर्ववर्ती शर्त्तो के अनुसार एकरारनामा संपादित करेंगे।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) स्था०–38 / 2014– 3063 पटना, दिनांक – 31.12.015

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / प्राचार्य / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों / सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों / विभाग के सभी पदाधिकारी / सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.12.15

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।